संख्या-165/2022/।/231216/2022/23-11002(002)/5/2022

प्रेषक,

राज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता विकासएवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ: दिनांक 02/11/2022**

विषय:- जनपद लखनऊ में लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग के कि0मी0 10 11 व 12 में अर्जुनगंज आबादी भाग में 4 लेन मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चौड़ीकरण का कार्य (लम्बाई 1.720 किमी0) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-249नि0/131-01नि0/2022-23, दिनांक 24-05-2022 संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के उच्चीकरण योजनान्तर्गत जनपद लखनऊ में लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग के कि0मी0 10 11 व 12 में अर्जुनगंज आबादी भाग में 4 लेन मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चौड़ीकरण का कार्य (लम्बाई 1.720 किमी0) हेतु लागत रू0 1900.43 लाख (रूपये उन्नीस करोड़ तैतालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में लागत के सापेक्ष रू0 475.00 लाख (रूपये चार करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) व्यय हेतु निम्न विवरण तथा शर्तो/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद/खण्ड	कार्य का विवरण	आंकलित लागत	अवमुक्त धनराशि		
				अनु0-58	अनु0-83	योग
1	लखनऊ/ प्रा0ख0	लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग के कि0मी0 10 11 व 12 में अर्जुनगंज आबादी भाग में 4-लेन मार्ग निर्माण हेतु चौड़ीकरण का कार्य।	1900.43	374.25	100.75	475.00

(1) उपरोक्त तालिका में अंकित निर्माण कार्य उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उस पर कोई व्ययभार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्दर कार्य का विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की होगी तथा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में न रखी जाय। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in/

(6) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्यसरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत तो नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है।

(7) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित के शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित संबंधित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियॉ-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में जमा की जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायीजायेगी।

(10) प्रायोजनान्तर्गत आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(11) विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णता अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियेरन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

(13) प्रश्नगत मार्ग निर्माण का कार्य शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 9 माह में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेगें।

(14) मार्ग निर्माण कार्यो हेतु मार्ग की लम्बई/चौड़ाई में परिवर्तन प्रस्तावित कस्ट डिजाइन में संशोधन एवं डिजाइन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकृत परियोजना के स्कोप में परिवर्तन व उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल आदि समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा। अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय परियोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर कार्यदायी संस्था/विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनविार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(15) कार्यदायी संस्था/विभाग द्वारा नियमानुसार विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(16) समिति द्वारा लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(17) विभागीय व्यय वित्त के समक्ष प्रस्तुत किये गये आगणन में किसी भी दशा में परिवर्तन नहीं किया जायेगा यदि परिवर्तन अपरिहार्य हो तो ऐसी दशा में शासन की अनुमति अवश्य प्राप्त की जायेगी।

(18) प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(19) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को दो-दो माह की आवश्कतानुसार धनराशि निर्गत की जाय। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायी होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकतानुसार ही किया जाय। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप

http://shasanadesh.up.gov.in/

संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07-06-2022 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय (1) रूपये 3,74,25,000(रूपये तीन करोड़ चौहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054033371328 प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के उच्चीकरण के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य (2) रूपये 1,00,75,000 (रूपये एक करोड़ पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054037890500 राज्य प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-172-X-2022-23-दिनांक 14-10-2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम्/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
13- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
15- नोडल अधिकारी (ऑन लाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in/